भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2015 का नौवहन महानिदेशक का आदेश संख्या 2.

फाइल संख्या: 33-एनटी (1)/2011-भाग दिनांक: 11.08.15

विषय : बी.एससी. (नॉटिकल) और स्नातक मैकेनिकल इंजीनियर (जीएमई) प्रशिक्षणार्थियों हेतु पोतस्थ प्रशिक्षण- संबंधी.

इस कार्यालय के गत नौमनि आदेश संख्या 01/2012 (फाइल नंबर 33-एनटी (1)/2011-भाग 3), दिनांकित 09.5.12 के क्रम में प्रबंधन स्तर पर जन शक्ति में कमी को दृष्टिगत रखते हुए निम्नोक्त सुविधा को आगे बढ़ाने पर और नॉटिकल और इंजीनियरिंग शाखाओं में भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन उद्योग में संरचित पोतस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीपी) में पीछे से चले आ रहे बैगलॉग को भी पूरा करने हेतु विचार किया गया है.

2. यह निर्णय लिया गया है कि मास्टर, चीफ ऑफीसर, चीफ इन्जीनियर और सेकेन्ड इन्जीनियर के स्तरों पर अन्य ध्वज राष्ट्रों के सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) धारकों को मान्यता का पृष्ठांकन प्रमाणपत्र (सीओई) जारी किया जाए, जो कि इसके बाद इस शर्त पर किया जाएगा कि ऐसे सीओई धारक को किसी भारतीय ध्वज जलयान पर तभी लगाया जाएगा जब बी.एससी. (नॉटिकल)/डीएनएस (डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जिसके बाद नॉटिकल साइंस में बी.एससी. होती है) कर रहे एक भारतीय कैडेट को सीओई धारक की हर अवधि के दौरान सीओई धारक को लगाए जाने की अवधि के दौरान नॉटिकल साइड में और जीएमई (ग्रेजुएट इन मरीन इन्जीनियरिंग)/डीएमई (डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग)/एटीएस (अल्टरनेटिव ट्रेनिंग स्कीम)/इंजीनियरिंग साइड में 4 वर्ष की मरीन इन्जीनियरिंग की डिग्री कर रहे प्रशिक्षु मरीन इंजीनियर को लगाया जाएगा. इससे आगे, संबंधित पोत के मास्टर और चीफ इंजीनियर को विहित प्रशिक्षण और अभिलेख (टीएआर) पुस्तक के अनुसार इन प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुण्वत्ता का खयाल रखना होगा. यह शर्त यथा संशोधित, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 की उप धारा (3) के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसरण में लागू की जाती है.

3. इस कार्यालय द्वारा आवश्यक अनुवीक्षण किए जाने के लिए सीओई की मान्यता 2 (दो) वर्ष तक सीमित होगी.

4. वर्ष 2012 के उक्त नौमनि आदेश संख्या 01 में दी गई सभी अन्य शर्तें और निबंधन आवश्यक परिवर्तन सहित यथावत रहेंगे और इस आदेश के साथ जोड़कर पढ़े जाएंगे.

5. यह उपाय पूरी तरह से अस्थायी प्रकृति का है और इस आदेश को जारी करने की तारीख से 2 (दो) वर्ष तक लागू रहेगा.

(दीपक शेट्टी)
नौवहन महानिदेशक
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार.